न्यायालय :– मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2012 निगरानी

हरिशचन्द्र पटेल तनय रामदास पटेल निवासी नहदौरा तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.

––– आवेदक

बिरूद्ध

1. वंशी यादव तनय परमलाल यादव
2. रामसहाय तनय हजारीलाल
3. छीलदयाल
4. सरमन पुत्रगण धुरका
5. नत्थू
6. हीरालाल
7. तुलैयां तनय मन्नी यादव
8. पिहल्ली तनय मन्नी यादव

निवासीगण मौराहा तह. व जिला छतरपुर म.प्र.

––– अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, की धारा 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर महो. जिला छतरपुर के प्र.क.202/निगरानी/11–12 में पारित आदेश दिनांक 19–03–12 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है। कि, भूमि खसरा नं. 8/2 रकवा 0.045 आर स्थित मौजा मौराहा तहसील छतरपुर की उक्त भूमि अनावेदकगण कं.8 से निगरानीकर्ता ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26–09–83 के द्वारा क्रय कर ली थी तथा विधिवत नामानंतरण भी निगरानीकर्ता ने अपने नाम करा लिया था तभी से निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर बतौर भूमिस्वामी काबिज रहा तथा आज मौके पर काबिज है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-1386-दो/2012 जिला छतरपुर **हरीशचंद्र विरूद्ध वंशी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । 3. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ने अपने प्रकरण क्रमांक 32/अपील/2010-11 आदेश पारित दिनांक 22-11-2011 के द्वारा वंशी तनय परमलाल यादव(इस प्रकरण में अनावेदक) के द्वारा प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय छतरपुर के द्वारा नामातंरण पंजी क्रमांक 21/वर्ष 1982-83 में पारित आदेश दिनांक 24-08-1983के द्वारा किये गये नामांतरण को निरस्त करते हुए प्रकरण को तहसीलदार न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया था । उक्त आदेश से परिवेदित होकर हरीशचंद्र तनय रामदास (इस प्रकरण में आवेदक) के द्वारा अपर कलेक्टर के यहां दिनांक 24-02-2012 को निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जिसे प्रकरण क्रमांक 202/निगरानी/2011-12 पर दर्ज किया गया । अपर कलेक्टर के द्वारा दि: 19-03-2012 को उक्त निगरानी आवेदन इस आधार पर अग्राह्य करते हुए निरस्त किया गया कि उनको निगरानी सुनने के अधिकार नहीं है । 4. आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22-11-2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15-05-2012 को यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 5. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण	

28.12.18

में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"

6. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

7. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

8. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

9. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 28.12.18
सदस्य